भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 138468

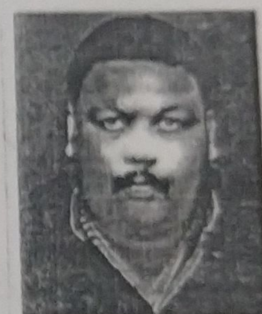

विक्रय-पत्र

बिक्री 13,20,000/- मालियत 13,35,000/- स्टाम्प 93,500/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - प्रतापगंज
3. ग्राम - छेदानगर वी-कोड-1351 पृष्ठ-96

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

04 FEB 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 138467

(2)

4.	सम्पत्ति का विवरण नं0	-	1317 व 1318
5.	मापन की इकाई	-	हे0
6.	क्षेत्रफल	-	0.1853हे0
7.	सड़क की स्थिति	-	कुछ नहीं
8.	अन्य	-	कुछ नहीं

19945 sqft

नि.अ. रामकली

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

01 FEB 2016

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

B 309687

(3)

9. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि/सड़क से हटकर
10. पेड़ों का मूल्यांकन - कुछ नहीं
11. बोरिंग कुआं व अन्य - कुछ नहीं
12. सरकारी दर - 72,00,000/- प्रति हे0
13. प्रतिफल की धनराशि - 13,20,000/-
14. **चौहद्दी गाटा संख्या 1317 व 1318 जो आपस में मिले है।** पूरब खेत मथुरा पश्चिम खेत महिपाल उत्तर खेत छंगादास दक्षिण खेत पुत्तीलाल।

नि.अं. रामकली

20000

ीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

वरिष्ठ कोषाधिकारी

Rs. 20000

01 FEB 2016

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH B 309688

(4)

प्रथम पक्ष संख्या 1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष संख्या 1 क्रेता का विवरण
श्रीमती रामकली पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरांय अकबराबाद पोस्ट सतरिख परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। आ0का0सं0–**572318656280** **Mobile No. : 9935192732**	**स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0** Cin No. **U70102UP2014PTC067353** द्वारा डायरेक्टर **विशाल** पुत्र सुजान निवासी म0नं0–41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया। **PAN-ANQPC5778A** **Mobile No. 7800001250**

श्रीम. रामकली

[illegible]

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

27 JAN 2016

UTTAR PRADESH AS 684385

(5)

-:: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण ::-

हम **श्रीमती रामकली** पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरांय अकबराबाद पोस्ट सतरिख परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी **प्रथम पक्ष विक्रेता** व **स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर विशाल** पुत्र सुजान निवासी म0नं0-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया **द्वितीय पक्ष क्रेता**। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।----

नि0अं0. रामकली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

27 JAN 2016

प्रदेश UTTAR PRADESH AS 684384

जोकि मैं प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बर 1317 रकबा 0.250हे0 व 1318 रकबा 0.028हे कुल दो किता रकबा 0.278हे0 जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसकी प्रथम पक्ष 2/3 भाग की भूमि की पूर्णया स्वामिनी व संक्रमणीय भूमिधर हैं जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है।----

नि०. रामकली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

27 JAN 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 684383

(7)

अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने 2/3 भाग (0.1853हे0) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 13,20,000/- तेरह लाख बीस हजार रूपया जिसके आधे 6,60,000/- छः लाख साठ हजार रूपये होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया। तथा कुल विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुकी है अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।----

नि0 रामकली

तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। **यह प्रथम पक्ष की क्रय की गयी सम्पत्ति है** जो राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के नाम दर्ज है। इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा बिक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुआँ व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। बिक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रूपया प्रति हे0 की दर से मालियत मु0 13,35,000/- रूपया होती है जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत मु0 93,500/- रूपये के स्टाम्प दिये गये हैं। **चौहद्दी गाटा संख्या 1317 व 1318 जो आपस में मिले है।** पूरब खेत मथुरा पश्चिम खेत महिपाल उत्तर खेत छंगादास दक्षिण खेत पुत्तीलाल। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नगद रूपया प्राप्त कर लिया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। --

नि. अ. रामकली

[signature]

आज दिनांक **03/02/2016** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **9341**

पृष्ठ सं. **137** से **166** पर कमांक **2190**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0के0यादव

उप निबन्धक नवाबगंज

बाराबंकी

3/2/2016